

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज</p>
<p>28/7/21</p>	<p>हुकम नं-130/2020</p> <p>कोविड महामारी COVID-19 से होने वाले संक्रमण को रोकने हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन की पालना में सर्वोच्च न्यायालय में इफजाही तारीख पेशीयों देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय फरीफेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दौरे/मीटिंग/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6-9-21 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>
<p>6-9-21</p>	<p>वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी जमान लखनी जजिरे रजिस्टर्ड डक/SPEED Post को जमाने। वकील वादी द्वारा सम्मल को समय रजिस्टर्ड डक/SPEED Post पेश हो। लखनी जजरी की जाकर पत्रावली कि 21-9-2021 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर</p>
<p>21-9-21</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरीफेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली प्रतिवकील कार्यवाही के दिनांक 23-9-21 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>
<p>23.09.2021</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट सम्मति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकील वादी व वादी पक्षकार में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील वादी व वादी पक्षकार की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किताब जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p><i>[Signature]</i> (दिलीप सिंह) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>

